# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 434 / 2024 निर्णय दिनांक :– 21.04.2025

**उनवानी प्रार्थना पत्र :**

जगदीश पुत्र मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

**बनाम**

1. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
2. कैलाशी पुत्री मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गोपाल पुत्र मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. नन्दा पुत्र मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. पोखर पुत्र मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. राजाराम पुत्र माता काली पुत्री मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र बालिग निवासी नृसिंह मंदिर की गली, भरना तहसील व जिला टोंक राज0

**–अप्रार्थीगण–**

उपस्थिति :–

**श्री आलोक शर्मा**
**अधिवक्ता प्रार्थी**

**पेरोकार सरकार**

**<u>प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 5 एवं अप्रार्थी संख्या 6 की माता काली पुत्री मांग्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 44 रकबा 9 बीघा 17 बीसवा, खसरा नम्बर 64 रकबा 5 बीघा 15 बीसवा, खसरा नम्बर 611 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के सेटलमेंट

21.4.25

के दोरान नये खसरा नम्बर 100 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 2190 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.17 है0 बनाये गये है। उक्त आराजीयात सम्वत 2036 से 2039 की जमाबंदी मे प्रार्थी की बहन का नाम काली पुत्री मांग्या सही रूप से अंकित हो रखा है परन्तु उसके बाद सम्वत 2046 की जमाबंदी मे प्रार्थी की बहन का नाम सहवन से काणी पुत्री मांग्या अंकित हो गया तथा उसके बाद की जमाबंदियों में प्रार्थी की बहन का नाम सहवन से खानी पुत्री मांग्या अंकित हो गया है जो सरासर गलत है। प्रार्थी के काणी व खानी नाम की कोई बहन नही है और ना ही प्रार्थी के पिता के काणी व खानी नाम की कोई पुत्री है। प्रार्थी की बहन काली पुत्री मांग्या की मृत्यु दिनांक 07.04.2020 को हो चुकी है। प्रार्थी की बहन के अन्य सभी सरकारी दस्तावेज मे उसका नाम सही रूप से काली पुत्री मांग्या अंकित है। प्रार्थी ने कई बार अपनी बहन का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करवाने के लिये तहसीलदारजी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये परन्तु आज दिन तक भी प्रार्थी की बहन का नाम खानी पुत्री मांग्या के बजाय काली पुत्री मांग्या दुरुस्त नही हो पाया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी की बहन का नाम गलत रूप से खानी पुत्री मांग्या अंकित हो रखा है। प्रार्थी की बहन का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज मे अलग अलग होने से काफी परेशानी हो रही है तथा उसके वारिस अप्रार्थी संख्या 6 के नाम नामांतकरण नही खुल पा रहा है। ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी की बहन का नाम न्यायहित मे दुरुस्त किया जाकर काली पुत्री मांग्या अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खाता संख्या 397 खसरा नम्बर 100 रकबा 0. 17 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 2190 रकबा 0. 35 है0, खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.

21.4.25

Scanned with OKEN Scanner

17 है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.17 है0 कुल किता–11, कुल रकबा 3.46 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे प्रार्थी की बहन का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाकर खानी पुत्री मांग्या के बजाय काली पुत्री मांग्या अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। प्रार्थी की बहन का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकित हो रहा है। प्रार्थी की बहन का वास्तविक नाम काली पुत्री मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) है। राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी की बहन का नाम काणी व खानी गलत अंकित हो रखा है जिसको दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र मे चाही गयी प्रार्थना स्वीकार है। प्रार्थी की बहन का नाम प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे काणी व खानी के बजाय काली पुत्री मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) अंकित कर दिया जावे इसमे हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की बहन का नाम प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे काणी व खानी के बजाय काली पुत्री मांग्या जाति कुम्हार (प्रजापति) अंकित कर दिया जावे इसमे हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र के चरण सं. 1 के संदर्भ में निवेदन है कि साबिक जमाबन्दी ग्राम देवलीगांव संवत 2036–39 के साबिक ख. नं. 44, 64, 611, 612 में सहखातेदार के रूप में काली पुत्र मांग्या जाति कुम्हार का नाम दर्ज होना स्वीकार है । इससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो का सम्बन्ध प्रार्थी एवं अप्रार्थीग्ण स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 2 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 3 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र के चरण सं. 4 में निवेदन है कि राजकीय रिकॉर्ड एवं

21.4.25

राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम की महिला एक ही है। स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 5 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 6 दस्तावेजो के आधार पर निर्णित होने से कानूनी है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने निवेदन के साथ जवाब पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड ग्राम देवलीगांव जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 397 में प्रार्थी की बहिन का नाम खानी पुत्र मांग्या का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसको प्रार्थी खानी के स्थान पर काली शुद्ध करवाना चाहता है।

अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने ग्राम देवली जमाबन्दी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 237 में जगदीश नंदा पोखर गोपाल पुत्र काली केलाशी पुत्री मु. केली बेवा मांग्या कौम कुम्हार के नाम ख. नं. 44, 64, 611 व 612 दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2046 में जगदीश नंदा पोखर गोपाल पुत्र फाणी/काणी केलाशी पुत्री मु. केली बेवा मांग्या कौम कुम्हार का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख. नं. 64 से हाल ख. नं. 117, साबिक ख. नं. 611 से हाल ख. नं. 2191, साबिक ख. नं. 612 से हाल ख. नं. 2190, व साबिक ख. नं. 44 से हाल ख. नं. 100, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 बने है जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के आधार कार्ड संलग्न है, जिनके अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 मांग्या के वारिसान है, जिससे यह साबित है कि प्रार्थीया की बहिन काली मांग्या की ही वारिसान है।

उक्तानुसार दस्तावेजो के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सेटलमेंट से पूर्व भी विवादित आराजी में प्रार्थी की बहन का नाम काली था और सेटलमेंट

21.4.25

के बाद बने राजस्व रिकॉर्ड में भी काणी/फाणी/खानी लिपिकीय त्रुटिवश गलत हो गया जो क्रमागत राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। अर्थात सेटलमेंट द्वारा प्रार्थी की बहिन का नाम में लिपकीय सहवन से त्रुटि हो गई है। जिसको शुद्ध करने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर . एक्ट के तहत पेश किया जिसमें केवल सेटलमेंट के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र नियत धारा में पेश होकर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

अतः हाल राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 397 के खसरा नम्बर 100 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 2190 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.17 है0 में खानी पुत्र मांग्या के बजाय काली पुत्री मांग्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को सुनाया गया।**

**उपखण्ड अधिकारी**
**देवली**

Scanned with OKEN Scanner